अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली

फा.सं.1-1/2023-24/ई-ए.पी.ए.आर./स्था.-I

दिनांक:

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मूल्यांकन अवधि दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 (2023-2024) हेतु संबंधित मूल्यांकन/रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. फार्म को समयानुसार जारी एवं अग्रेषित करने तथा इसे समय पर भरने संबंधी।

दिनांक 24.01.2024 एवं 19.04.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, वर्ष 2023-24 हेतु ई-ए.पी.ए.आर. को रिकॉर्ड करने के लिए वर्तमान समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, एम्स के संकाय सदस्यों सहित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों हेतु मूल्यांकन वर्ष 2023-2024 के लिए ई-ए.पी.ए.आर. की रिकॉर्डिंग एवं उसे पूर्ण करने की संशोधित समय-सीमा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्य-विवरण	कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि	
		वर्तमान	संशोधित
1.	संबंधित स्थापना अनुभाग द्वारा ई-ए.पी.ए.आर. फॉर्म के विधिवत रूप से भरे हुए भाग-I को अग्रेषित करना (अर्थात जिसमें स्व-मूल्यांकन दिया जाना है उसमें रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी को तथा जिसमें स्व-मूल्यांकन नहीं दिया जाना है उसमें रिपोर्टिंग अधिकारियों को अग्रेषित करना)	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2024
2.	जिस अधिकारी की रिपोर्ट की जानी है उसके द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण (जहां लागू हो)।	30 अप्रैल, 2024	30 जून, 2024
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण	30 जून, 2024	31 अगस्त, 2024
4.	समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को पूर्ण किया जाना एवं प्रशासन अथवा ए.सी.आर. प्रकोष्ठ अथवा स्वीकृति प्राधिकारी (जहां लागू हो) को रिपोर्ट भेजना	31 जुलाई, 2024	31 अक्टूबर, 2024
5.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां ऐसा प्रावधान हो या लागू हो	31 अगस्त, 2024	31 दिसंबर, 2024
6.	(क) जहां स्वीकृति प्राधिकारी न हो, वहां रिपोर्टाधीन अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण	1 सितम्बर, 2024	1 नवंबर, 2024
	(ख) जहां स्वीकृति प्राधिकारी हो, वहां रिपोर्टाधीन अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण	15 सितम्बर, 2024	1 जनवरी, 2025

-जारी-2/..

7.	ई-ए.पी.ए.आर. संबंधी यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो उसकी पावती	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर
8.	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन का अग्रेषण (क) जहां ई-ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी न हो (ख) जहां ई-ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी हो	21 सितम्बर, 2024 06 अक्तूबर, 2024	अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर
9.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति से एक माह के भीतर	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति से एक माह के भीतर
10.	ए.सी.आर. प्रकोष्ठ द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को सम्प्रेषित करना	15 नवम्बर, 2024	अभ्यावेदन के निस्तारण की तिथि से 15 दिनों के भीतर
11.	ई-ए.पी.ए.आर. की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति, यदि कोई नया संयोजन/परिवर्तन नहीं होता है तो उसके बाद ए.पी.ए.आर. को रिकार्ड में ले लिया जाएगा।	30 नवम्बर, 2024	निर्णय की सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर

अनिल कुमार
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहा. प्रशासनिक अधिकारी
2. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा, एम्स: **इसे एम्स के पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।**
3. श्री पवन कुमार, वरिष्ठ प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सुविधा, एम्स: **उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समय-सारणी का पालन करने के अनुरोध सहित।**
4. फैकल्टी एसोसिएशन/ऑफिसर्स एसोसिएशन/एम्स नर्सिंग यूनियन/कर्मचारी यूनियन

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/अपर निदेशक (प्रशा.)/उप-सचिव के प्रधान निजी सचिव
2. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/उप-संकायाध्यक्ष
3. सभी केंद्रों के प्रमुखगण, एम्स
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार, एम्स